परीक्षा समिति की बैठक दिनांक: 21.01.2021 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 21–01–2021 दिन गुरूवार को मध्याह्न 12:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडिमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 अंशु यादव, आचार्या, आई.बी.एम. विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्या
4.	प्रो0 मुकेश रंगा, आचार्य, आई.बी.एम. विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
5.	डा0 महेश प्रसाद यादव, संकायाध्यक्ष–कृषि संकाय, जनता कालेज, बकेवर, इटावा ।	सदस्य
6.	डॉ0 बी0डी0 पाण्डेय, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
7.	डॉ0 अवधेश सिंह, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
8.	डा0 सरोज कुमार द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर केन्द्र सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
9.	श्री एस.एल. पाल, उपकुलसचिव (परीक्षा), सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	डॉ0 अनिल कुमार यादव, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	पदेन सचिव

सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदया की अनुमति से परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गये :–

मद सं0–1. **मुख्य परीक्षा–2020 में बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष के प्रथम बार घोषित परीक्षाफल में संशोधनोपरान्त घोषित किए गये परीक्षा परिणाम में 574 छात्र/छात्राओं के अंक कम हो जाने के प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार–**

निर्णय – सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष–2020 के प्रथम बार घोषित परीक्षाफल में ओ0एम0आर0 पद्धति पर आधारित गणित प्रथम प्रश्नपत्र(372-N) एवं तृतीय प्रश्नपत्र(374-N) के मूल्यांकन में त्रुटि हो जाने पर जॉचोंपरान्त पाया गया कि नियुक्त परीक्षक द्वारा उत्तर बनाते समय ओ0एम0आर0 शीट पर त्रुटिवश गोला गलत अंकित कर दिया गया था। उक्त त्रुटियों को दूर कराते हुए जिन छात्र/छात्राओं अंक पूर्व घोषित परीक्षाफल में समान रहे अथवा बढ़ गये उनका परीक्षाफल पूर्व में घोषित किया जा चुका है। परन्तु बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष के कुल 574 परीक्षार्थी जिनके अंक घट रहे हैं, के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ऐसे छात्रों के अंक यथावत रखे जाने एवं तदनुसार परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

परीक्षा समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि ओ0एम0आर0 के आठों सेट(A,B,C,D,E,F,G,H) तैयार करने हेतु नियुक्त परीक्षक डा0 एस0एन0 मिश्रा, बी0एन0डी0 कालेज, कानपुर द्वारा ओ0एम0आर0 शीट में गोला भरने में की गयी त्रुटि के दृष्टिगत उन्हें भविष्य में ऐसे कार्य की पुनरावृत्ति न किए जाने के सम्बन्ध में कड़ा चेतावनी पत्र निर्गत किया जाय।

21.01.2021

21/01/2021

Scanned with CamScanner

मद सं0–2. विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली व्यक्तिगत(Private) परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में राज्यपाल सचिवालय,उ0प्र0 द्वारा प्रेषित पत्रांक ई–7471/12–जी0एस0/2020(मिस–II) दिनांक 08–12–2020 के आलोक में परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार ।

निर्णय– सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी द्वारा समस्त राज्य विश्वविद्यालयों को इस आशय का पत्र निर्गत किया गया कि विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत(Private) विद्यार्थी के रूप में प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाय।

सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के कुलसचिव द्वारा अपर मुख्य सचिव, मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल,उ0प्र0 को प्रेषित अपने पत्र में व्यक्तिगत(Private) विद्यार्थी के रूप में प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था को समाप्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। तद्क्रम में परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर एक राज्य विश्वविद्यालय है तथा इस विश्वविद्यालय को संचालित करने हेतु सम्पूर्ण व्ययभार स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाता है एवं राज्य सरकार से किसी प्रकार की अनुदान राशि इस विश्वविद्यालय को संचालन हेतु प्राप्त नहीं होती है। विश्वविद्यालय स्वयं के स्रोतों जिसमें मुख्य रूप से महाविद्यालयों से संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षा के परीक्षा शुल्क से प्राप्त होने वाली आय से ही विश्वविद्यालय संचालित किया जा रहा है। तद्क्रम में यह भी सूच्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस सत्र से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चार जिलों क्रमशः हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर एवं रायबरेली को लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया है जिससे लगभग 400 महाविद्यालय एवं उनमें अध्ययनरत लगभग 256362 छात्र/छात्राएँ सत्वर इस विश्वविद्यालय से हट जायेंगे, जिससे आगामी वर्ष में लगभग एक तिहाई छात्र संख्या घट जाने के कारण भविष्य में विश्वविद्यालय को वित्तीय संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत परीक्षा के माध्यम से सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मी जैसे सेना, पुलिस एवं अन्य सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मी अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्राईवेट परीक्षा की व्यवस्था समाप्त किए जाने पर विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ रूपये परीक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि का भी नुकसान होगा।

उक्त तथ्यों के आलोक में परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से व्यक्तिगत(Private) विद्यार्थी के रूप में प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था को पूर्व की भाँति जारी रखने एवं तद्नुसार राज्यपाल सचिवालय को सूचित किए जाने पर सहमति प्रदान की गयी ।

मद सं0–3. मुख्य परीक्षा–2020 में कोविड–19 के कारण सम्पन्न नहीं करायी जा सकी परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की आख्या/संस्तुति पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।

निर्णय– सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17.08.2020 के निर्णय सं0–01 में सत्र 2019–20 की कोविड–19 महामारी के कारण अवशिष्ट(अवशेष) स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को कराये

/2

Scanned with CamScanner

जाने/प्रमोट किए जाने हेतु मार्गदर्शी गाइडलाइन्स को आंशिक संशोधनों सहित अंगीकृत करते हुए तद्नुसार परीक्षा कराये जाने एवं प्रमोशन की कार्यवाही सम्पादित किए जाने का निर्णय लिया गया था। इसी प्रकार परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 28.10.2020 के विनिश्चय सं0-28 में भूतपूर्व परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में परीक्षा कराने/प्रमोशन के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया है। तद्क्रम में स्नातक एवं परास्नातक एवं सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है, परन्तु ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी कुछ प्रश्नपत्रों की परीक्षाऐं ही सम्पन्न हुयी थी अथवा एक भी परीक्षा सम्पन्न नहीं हुयी थी, के सम्बन्ध में विविध नियमावली के अनुसार प्रथम वर्ष/सेमेस्टर अथवा अन्य अवशेष वर्ष/सेमेस्टर(अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर को छोड़कर) का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की कार्यवाही सम्पादित किये जाने पर आने वाली व्यावहारिक एवं तकनीकी कठिनाईयों के दृष्टिगत छात्रहित में शीघ्र परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने के उद्देश्य से मा0 कुलपति महोदया द्वारा एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया, समिति द्वारा दी गयी आख्या/संस्तुति के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नांकित हैं–

1-(i) वर्ष–2020 की स्नातक प्रथम एवं परास्नातक प्रथम वर्ष तथा सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की सम्पन्न परीक्षाओं(लिखित एवं प्रायोगिकी/मौखिकी) के अंकों की प्रविष्टि के पश्चात यदि परीक्षार्थी की कम से कम दो विषयों की परीक्षाऐं सम्पन्न हुयी हैं तथा वह दो विषयों में नियमानुसार अनुत्तीर्ण है, तो ऐसी दशा में उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा अन्यथा की दशा में अथवा कोई भी परीक्षा सम्पन्न न होने की स्थिति में उनको अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रमोट करते हुए परीक्षाफल घोषित किया जायेगा। उनके प्रथम वर्ष/सेमेस्टर के अवशेष प्रश्नपत्रों में अंकों की प्रविष्टि अगले वर्ष–2021 में सम्पन्न होने वाली स्नातक द्वितीय वर्ष/परास्नातक द्वितीय वर्ष एवं सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांकों के आधार पर तद्नुरूप की जायेगी। एल0एल0बी0 प्रथम वर्ष की सम्पन्न हुयी परीक्षाओं के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी अंकों की प्रविष्टि करते हुए सम्बन्धित प्रश्नपत्रों के कुल पूर्णांकों के आधार पर नियमानुसार उत्तीर्ण प्रतिशत होने की दशा में उत्तीर्ण/प्रमोट किया जायेगा।

(ii) वर्ष–2020 की स्नातक द्वितीय वर्ष की सम्पन्न परीक्षाओं से सम्बन्धित प्राप्तांकों की प्रविष्टि के पश्चात, द्वितीय वर्ष के अवशेष विषय/प्रश्नपत्रों के अंक स्नातक प्रथम वर्ष के अंकों के अनुसार प्रविष्ट करते हुए तद्नुसार परीक्षाफल घोषित किया जायेगा। यदि वर्तमान कक्षा एवं पिछले कक्षा के प्रश्नपत्रों की संख्या में अन्तर है, तो पिछली कक्षा में परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का औसत अंक अवशेष प्रश्नपत्रों में प्रदान किया जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया में औसत अंकों का निर्धारण सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों एवं प्रायोगिक परीक्षा के लिए अलग–अलग किया जायेगा।

(iii) ऐसे सेमेस्टर पाठ्यक्रमों(प्रथम एवं अन्तिम सेमेस्टर को छोड़कर) जिनकी परीक्षा नहीं करायी जा सकी है या नहीं करायी जानी है, के परीक्षाफलों के सम्बन्ध में यथा प्रभावी उनके पिछले सेमेस्टर में उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों/मौखिकी में प्राप्त अंकों का औसत अंक वर्तमान सेमेस्टर के सभी लिखित एवं मौखिकी प्रश्नपत्रों में प्रदान करते तद्नुसार परीक्षाफल तैयार किया जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया में औसत अंकों का निर्धारण सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों एवं प्रायोगिक परीक्षा के लिए अलग–अलग किया जायेगा।

-3-

21-5-2021

21/5/2021

Scanned with CamScanner

उपरोक्त प्रकिया (i), (ii) एवं (iii) को पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक– 26.08.2020 के प्रस्तर सं0 (iii), (viii) एवं (xi) की जगह प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2– मुख्य परीक्षा वर्ष–2020 के समस्त कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त वार्षिक बैक पेपर की परीक्षा केवल अन्तिम वर्ष के परीक्षार्थियों हेतु सत्र 2019–20 की व्यवस्था के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगी।

3– परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 28.10.2020 के विनिश्चय सं0–08 में लिए गये निर्णय के आलोक में भूतपूर्व परीक्षार्थियों के प्रमोशन के सम्बन्ध में निर्गत कार्यालय आदेश सं0–सी.एस.जे.एम.वि.वि./सी.ओ.ई./756/2020 दिनांक 05–12–2020 में निम्नानुसार संशोधन किए गया है–

"स्नातक एवं परास्नातक मुख्य परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा एवं अन्य वार्षिक परीक्षाओं के प्रथम वर्ष/सेमेस्टर सत्र 2019–20 के ऐसे भूतपूर्व छात्र छात्र/छात्राएँ जिनकी कोविड–19 के कारण एक भी परीक्षा सम्पन्न नहीं हुयी है, को आगामी कक्षा में प्रोन्नत किए जाने तथा अगली कक्षा की परीक्षा भविष्य में सम्पन्न कराये जाने के उपरान्त प्राप्त परिणाम के आधार पर प्रथम वर्ष/सेमेस्टर कक्षा में औसत अंक प्रदान किए जायेंगे।"

अतः परीक्षा समिति द्वारा उक्त प्रकियानुसार शेष परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने एवं तदनुसार पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 सी.एस.जे.एम.वि.वि./ 443/2020 दिनांक 26.08.2020 एवं सी.एस.जे.एम.वि.वि./756/2020 दिनांक 05.12.2020 में उक्तानुसार संशोधन किए जाने पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

मद सं0–4. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 28–09–2020 के मद सं0–5 में "मेजर एस0डी0 सिंह मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बेवर रोड, फर्रूखाबाद के चार छात्रों एवं समान प्रकृति के अन्य छात्रों के एम0बी0बी0एस0 फाइनल पार्ट–2 परीक्षा फरवरी, 2019 में नकल में दोषसिद्ध पाये जाने के प्रकरण में समिति द्वारा वांछित यू0एफ0एम0 समिति की आख्या पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।

निर्णय– सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 28–09–2020 के मद सं0–5 में लिए गये निर्णयानुसार समिति द्वारा माँगी गयी "मेजर एस0डी0 सिंह मेडिकल कालेज, फर्रूखाबाद के चार छात्रों एवं समान प्रकृति के अन्य छात्रों के एम0बी0बी0एस0 फाइनल पार्ट–2 परीक्षा में नकल में दोषसिद्ध पाये जाने सम्बन्धी अनुचित साधन प्रयोग समिति की आख्या विचारार्थ प्रस्तुत की गयी।

परीक्षा समिति द्वारा समस्त तथ्यों के अवलोकनोपरान्त छात्रहित में, मेजर एस0डी0 सिंह मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बेवर रोड, फर्रूखाबाद के उक्त संदर्भित छात्र/छात्राओं द्वारा नकल में दोषसिद्ध होने के उपरान्त पुनः दी गयी पूरक परीक्षा को मुख्य परीक्षा के रूप में मानते हुए, तदनुसार पूर्व में निरस्त की गयी परीक्षा में प्राप्त Internal Assessment के अंकों को मुख्य परीक्षा(पुनः दी गयी सम्पूर्ण लिखित परीक्षा) में समाहित करते हुए तदनुसार सम्बन्धित छात्र/छात्राओं का परीक्षाफल घोषित किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

21.01.2021

21/1/2021

Scanned with CamScanner

मद सं0–4 बी0एड0/एम0एड0 प्रथम वर्ष के ऐसे परीक्षार्थी जिन्हें वर्ष–2020 में भूतपूर्व परीक्षार्थी एवं बैक पेपर परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देनी थी परन्तु कोविड–19 के कारण उनकी परीक्षाएँ सम्पादित नहीं करायी जा सकीं, का प्रमोशन किए जाने हेतु गठित समिति की आख्या/संस्तुति पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि बी0एड0/एम0एड0 प्रथम वर्ष के ऐसे परीक्षार्थी जिन्हें वर्ष–2020 में भूतपूर्व परीक्षार्थी एवं बैक पेपर परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देनी थी परन्तु कोविड–19 के कारण उनकी परीक्षाएँ सम्पादित नहीं करायी जा सकीं, के प्रमोशन की प्रकिया भी निर्धारित की जानी है। परीक्षा समिति द्वारा पूर्व में बी0एड0/एम0एड0 सत्र 2019–20 का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हेतु उपकुलसचिव(परीक्षा), संकायाध्यक्ष–शिक्षाशास्त्र एवं परीक्षा नियंत्रक की समिति को अधिकृत किया गया था। अतः उक्त प्रकरण पर निर्णय लिए जाने हेतु समिति द्वारा प्रेषित की गयी आख्या/संस्तुति निम्नवत् है–

1– बी0एड0/एम0एड0 प्रथम वर्ष के ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें सत्र 2019–20 में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होना था तथा उनकी परीक्षाएँ कोविड–19 के कारण शासन से प्राप्त दिशा–निर्देशों के कम में सम्पादित नहीं करायी जा सकी, ऐसे परीक्षार्थियों का प्रमोशन पूर्व निर्गत कार्यालय–ज्ञाप सी.एस.जे.एम.वि.वि./सी.ओ.ई./724/2020 दिनांक 28–11–2020 के बिन्दु–2 में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाय।

2– बी0एड0/एम0एड0(बैच 2016–18) के प्रथम वर्ष सत्र 2016–17 के ऐसे परीक्षार्थी, जो प्रथम वर्ष में किसी एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण हैं तथा बी0एड0/एम0एड0 द्वितीय वर्ष के समस्त प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण हैं तथा जिन्होंने नियमानुसार बैक पेपर हेतु आवेदन किया है। चूंकि उनकी परीक्षाएँ कोविड–19 के कारण सम्पादित नहीं करायी जा सकी हैं, अतः ऐसे परीक्षार्थियों को अनुत्तीर्ण प्रश्नपत्र में प्रथम वर्ष के अन्य सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों का औसत अंक प्रदान करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय।

3– बी0एड0/एम0एड0 सत्र 2017–18(बैच 2017–19) के प्रथम वर्ष के ऐसे परीक्षार्थी, जो किसी एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण हैं तथा बी0एड0/एम0एड0 द्वितीय वर्ष सत्र 2018–19 के समस्त प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण हैं तथा जिन्होंने नियमानुसार बैक पेपर हेतु आवेदन किया है। चूंकि उनकी परीक्षाएँ कोविड–19 के कारण सम्पादित नहीं करायी जा सकी हैं, अतः ऐसे परीक्षार्थियों को अनुत्तीर्ण प्रश्नपत्र में प्रथम वर्ष के अन्य सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों का औसत अंक प्रदान करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय।

4– बी0एड0/एम0एड0 सत्र 2018–19(बैच 2018–20) के प्रथम वर्ष के ऐसे परीक्षार्थी, जो किसी एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण है तथा जिन्होंने नियमानुसार बैक पेपर हेतु आवेदन किया है एवं बी0एड0/एम0एड0 द्वितीय वर्ष 2019–20

-5-

21.7.2021

21/1/2021

Scanned with CamScanner

के समस्त प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण हैं। चूंकि उनकी परीक्षाएँ कोविड–19 के कारण सम्पादित नहीं करायी जा सकी हैं, अतः ऐसे परीक्षार्थियों को अनुत्तीर्ण प्रश्नपत्र में प्रथम वर्ष के अन्य सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों का औसत अंक प्रदान करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय।

5– बी0एड0 प्रथम वर्ष सत्र 2018–19(बैच 2018–20) के ऐसे परीक्षार्थी जो मौखिकी परीक्षा में किन्हीं कारणवश अनुपस्थित रहे हैं, को बी0एड0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की दशा में द्वितीय वर्ष के मौखिकी परीक्षा में प्राप्त अंकों को प्रथम वर्ष के मौखिकी में प्रदान करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से बी0एड0/एम0एड0 प्रथम वर्ष के उपरोक्त छात्र/छात्राओं के प्रमोशन की कार्यवाही उल्लिखित आख्या/संस्तुति के अनुसार सम्पादित कराये जाने एवं तद्नुसार परीक्षाफल घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

मद सं0–5 परीक्षा समिति के सदस्य डा0 उपमा श्रीवास्तव एवं डा0 गायत्री सिंह का कार्यकाल दिनांक 02.01.2021 को समाप्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर, अध्यादेश में वर्णित प्राविधानों के अनुसार दो नये सदस्यों को परीक्षा समिति द्वारा नामित किये जाने पर विचार।

निर्णय– सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि परीक्षा समिति की सदस्या डा0 उपमा श्रीवास्तव एवं डा0 गायत्री सिंह का कार्यकाल परीक्षा समिति की प्रथम बैठक दिनांक 03.01.2020 से एक साल पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 02.01.2021 को समाप्त हो गया है। परीक्षा समिति अध्यादेश में वर्णित प्राविधानों के अनुसार उक्त सदस्यों के स्थान पर दो नये सदस्यों के नाम की परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार सहमति प्रदान की गयी –

1	One other member of the Executive Council (Except Dean) to be Co-opted by the Examination Committee	डा0 संदीप सिंह, सह–आचार्य, पौढ़ एवं सतत् शिक्षा प्रसार विभाग, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर
2	One other member of the Academic Council who is neither a member of the Executive Council nor Dean, to be Co-opted by the Examination Committee.	डा0 आशा रानी पाण्डेय, संस्कृत विभाग, डी0जी0 कालेज, कानपुर

मद सं0–7 कोविड–19 महामारी के कारण मुख्य परीक्षा–2020 में सम्मिलित न हो पाने वाले परीक्षार्थियों की छूटी हुयी परीक्षाएँ कराये जाने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा–2020 की परीक्षाएँ दिनांक 25 फरवरी, 2020 से प्रारम्भ होकर दिनांक 17 मार्च, 2020 तक सम्पन्न करायी गयी थीं। तदोपरान्त कोविड–19 महामारी के कारण

21.01.2021

21/1/2021

Scanned with CamScanner

लॉकडाउन हो जाने पर अवशेष अन्तिम वर्ष की परीक्षाएँ माह सितम्बर–अक्टूबर, 2020 में सम्पन्न करायी गयीं। विश्वविद्यालय में अनेक छात्र/छात्राओं के आवेदन प्राप्त हुए जो अवशेष परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने के दौरान या तो स्वयं कोविड पॉजीटिव हो गये अथवा उनका कोई परिवारिक सदस्य कोविड पॉजीटिव हो गया था। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थियों का निवास स्थान जिला प्रशासन द्वारा कन्टेनमेन्ट जोन घोषित कर दिये जाने के कारण, ऐसे परीक्षार्थी एक से अधिक प्रश्नपत्रों की परीक्षाएँ देने से वंचित रह गये। ऐसे परीक्षार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए छूटी हुयी परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने का अनुरोध किया गया है। विश्वविद्यालय नियमानुसार परीक्षार्थी किसी एक प्रश्नपत्र में बैक पेपर की परीक्षा दे सकता है तथा स्नातक/परास्नातक अन्तिम वर्ष सत्र 2019–20 की बैक पेपर परीक्षा शीघ्र ही सम्पन्न करा ली जायेगी परन्तु कोविड–19 के कारण एक से अधिक प्रश्नपत्रों की परीक्षा न दे पाने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा सम्पन्न कराये जाने पर निर्णय लिया जाना है।

परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्य परीक्षा–2020 के स्नातक/परास्नातक अन्तिम वर्ष के ऐसे परीक्षार्थी जिनकी एक से अधिक प्रश्नपत्रों की परीक्षाएँ, कोविड–19 से स्वयं अथवा परिवार का कोई सदस्य प्रभावित होने के कारण अथवा निवास का क्षेत्र कन्टेनमेन्ट जोन में होने के कारण छूट गयी थीं, के प्रार्थना पत्र समुचित माध्यम से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को सूचित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किए जायेंगे। तदोपरान्त परीक्षार्थियों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का परीक्षण किए जाने हेतु सिस्टम मैनेजर–कम्प्यूटर केन्द्र, प्रो0 अंशु यादव एवं डा0 अवधेश सिंह, महामंत्री–कूटा की एक समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा प्रार्थना पत्रों का परीक्षण किए जाने के उपरान्त अर्ह परीक्षार्थियों की विश्वविद्यालय द्वारा विशेष परीक्षा सम्पन्न करायी जायेंगी।

मद सं0 8– सुश्री त्रियांशी निगम द्वारा बी0ए0 पाठ्यक्रम के तीनो वर्षों की परीक्षा किसी अन्य छात्रा के प्रवेश पत्र पर दिये जाने के उपरान्त उक्त छात्रा द्वारा परीक्षाफल घोषित किए जाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन पर परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 28–09–2020 के मद सं0–4 में लिए गये निर्णयानुसार पुनः विस्तृत जॉच हेतु गठित उच्चस्तरीय जॉच समिति की सीलबन्द आख्या/संस्तुति पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार–

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया श्री त्रियांशी निगम के प्रकरण पर गठित उच्चस्तरीय जॉच समिति, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नवत् थे–

1– मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना पाण्डया, लखनऊ।
2– प्रो0 नन्दलाल, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।
3– डा0 अवधेश सिंह, महामंत्री–कूटा ।

उक्त जॉच समिति द्वारा विस्तृत जॉचोपरान्त अपनी आख्या/संस्तुति, सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को प्रस्तुत की गयी। सचिव द्वारा परीक्षा समिति की अनुमति से सुश्री त्रियांशी निगम के प्रकरण से सम्बन्धित सीलबन्द लिफाफे को खोला गया। तद्क्रम में मा0 कुलपति महोदया की अनुमति से जॉच समिति के सदस्य डा0 अवधेश सिंह, डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर द्वारा पूरी जॉच का विवरण प्रस्तुत करते हुए आख्या/संस्तुति को पढ़कर सभी को अवगत कराया गया। परीक्षा समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श के उपरान्त सुश्री त्रियांशी निगम के प्रकरण पर सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिया गया–

21.07.2021

12/7/2021

Scanned with CamScanner

1– सुश्री त्रियांशी निगम पुत्री श्री अजयकान्त, निगम द्वारा अन्य छात्रा कु0 ज्योति राजपूत पुत्री श्री राजाराम राजूपत के प्रवेश पत्र पर बी0ए0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षाओं में कमशः वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में सम्मिलित होने को गलत मानते हुए उनके द्वारा नाम व पिता का नाम संशोधन किए जाने के प्रार्थना पत्र बलहीन पाते हुए सुश्री त्रियांशी निगम को निर्गत बी0ए0 अंकपत्र कमांक 01–18229776 को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

2– लवकुश इन्स्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन, चौबेपुर, कानपुर के प्रबन्ध तंत्र द्वारा संचालित सभी महाविद्यालयो को तीन वर्षों तक परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जायेगा।

3– भविष्य में यदि ज्योति राजपूत (अपात्र) उपस्थित होकर अंकतालिका/डिग्री की मांग करती है तो किसी भी कार्यवाही के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा सभी पक्षों को नोटिस भेजकर सुनना आवश्यक होगा।

4– सम्बन्धित महाविद्यालय–लवकुश इन्स्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन सेन्टर जो धोखा–धड़ी/कूटरचना करके अपात्र व अनर्ह छात्र एवं छात्राओं को फर्जी डिग्री दिलवाने में मदद कर रहा है, उसकी जांच व महाविद्यालय के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु परीक्षा समिति द्वारा मा0 कुलपति महोदया को अधिकृत करते हुए समिति का गठन किया जायेगा।

मद सं0–9 याचिका सं0 35168/2018, श्रीमती सुखप्रीत कौर बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.01.2019 के अनुपालन में तथा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13.12.2018 द्वारा याचिका में वर्णित प्रकरण की जॉच हेतु गठित समिति की मा0 कुलपति महोदया द्वारा अनुमोदित आख्या/संस्तुति के कम में मा0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत आख्या/आदेश सं0 सी.एस.जे.एम.यू/आर.कै0/3137/2020 दिनांक 06/10/2020 से परीक्षा समिति को संसूचित किया जाना–

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि श्रीमती सुखप्रीत कौर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका सं0 35168/2018 इस प्रार्थना के साथ योजित की गयी कि याची को बी0एड0 पाठ्यकम (वर्ष–2003) की उपाधि, अभिलेखों में संशोधन के उपरान्त निर्गत किए जाने के आदेश प्रदान किए जॉय।

याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.01.2019 द्वारा कुलसचिव को इस आशय के निर्देश प्रदान किए गये हैं कि प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तृत जॉच कर आख्या मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। उक्त प्रकरण पर विस्तृत जॉच हेतु परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13.12.2018 के विनिश्चय सं0–4 द्वारा एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया था। जॉच समिति द्वारा याची से सम्बन्धित विश्वविद्यालयीय अभिलेखों की गहन जॉच की गयी तथा याचिकाकर्ता श्रीमती सुखप्रीत कौर एवं सम्बन्धित महाविद्यालय की प्राचार्या को भी व्यक्तिगत रूप से बुलाकर सुना गया। जॉच समिति द्वारा जॉचोपरान्त जॉच आख्या विश्वविद्यालय को प्रेषित की गयी जो कि मा0 कुलपति महोदया द्वारा अनुमोदित है। जॉच समिति की आख्या दिनांक 23.09.2020 में की गयी संस्तुतियों के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.01.2019 के अनुपालन में कुलसचिव द्वारा आख्या दिनांक 06.10.2020 मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

21.1.2021

21/1/2021

Scanned with CamScanner

जाँच समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नवत् संस्तुति की गयी है–

1– याची, श्रीमती सुखप्रीत कौर को बी0एड0–2003 अनुक्रमांक 33161 के सापेक्ष निर्गत की गयी अंकतालिका एवं उपाधि निरस्त करते हुए याची तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

2– विश्वविद्यालय के अतिगोपनीय विभाग में संरक्षित सारणीयन पंजिका(बी0एड0–2003, केन्द्र–डी0डब्लू0टी0 कालेज, कानपुर) से बिना सत्यापन कराये किस आधार पर परीक्षा विभाग की सारणीयन पंजिका में अनुक्रमांक–33161 के सम्मुख अंकित नाम शिखा मौर्या पुत्री श्री आर.एन. मौर्या संशोधित कर सुखप्रीत कौर पुत्री टी.एस. सिद्दू तथा प्रायोगिक परीक्षा के अंक अंकित कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत जॉच किए जाने के उपरान्त अपेक्षित विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से श्रीमती सुखप्रीत कौर के प्रकरण पर गठित जॉच समिति की उक्त संस्तुतियों को अनुमोदित करते हुए तद्नुसार विश्वविद्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही किए जाने एवं मा0 उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्गत किए गये आख्या/आदेश सं0–सी.एस.जे.एम.यू./आर.कै0/3137 दिनांक 06/10/2020 का अनुशीलन करते हुए सहमति प्रदान की गयी।

मद सं0 10– वर्ष–2010 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को विनष्ट किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29 अप्रैल, 2011 द्वारा तत्कालीन कुलसचिव के विरूद्व जॉच किए जाने के प्रकरण पर वर्ष 2009–10 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को संरक्षित किए जाने के निर्देश विश्वविद्यालय को प्रदान किए गये थे। उक्त जॉच पूरी होने पर उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 फरवरी, 2014 द्वारा जॉच की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी थी परन्तु संरक्षित की गयी उत्तर पुस्तिकाओं को विनष्ट किए जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश प्रदान नहीं किए गये थे। तद्क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 13/03/2014, 04/08/2015, 27/01/2016, 15/01/2019 एवं दिनांक 12/01/2021 द्वारा उक्त संरक्षित उत्तर पुस्तिकाओं को विनष्ट किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु निरन्तर उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध किया गया है। सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वर्ष 2010 से संरक्षित उक्त मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की स्थिति दीमक लगने के कारण काफी खराब हो चुकी है तथा अत्यधिक उपयोगी स्थान तत्कारण से आच्छादित है।

परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा जॉच वर्ष–2014 में ही समाप्त कर दिये जाने एवं विनष्टीकरण हेतु अब तक कोई आदेश प्राप्त न होने तथा उत्तर पुस्तिकाओं में दीमक लग जाने के कारण वर्ष–2010 की मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं को विनष्ट कर दिया जाय। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं से सम्बन्धित यदि कोई प्रकरण मा0 न्यायालय में अथवा जनसूचना में लम्बित है तो ऐसे प्रकरणों में औसत अंक प्रदान करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा।

21/1/2021

21-01-2021

Scanned with CamScanner

मद सं0 11–व्यक्तिगत परीक्षा के परीक्षार्थियों की छूटी हुए मौखिकी परीक्षाएँ उसी वर्ष सम्पन्न कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि व्यक्तिगत परीक्षा सत्र 2019–20 के बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम./एम.काम. के अन्तिम वर्ष के परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है। विगत वर्षों में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की छूटी हुयी मौखिकी परीक्षाएँ अगले सत्र की मुख्य मौखिकी परीक्षा के साथ सम्पन्न करायी जाती रही है। परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10.04.2014 के मद सं0–6 में लिए गये निर्णयानुसार सम्बन्धित सत्र की छूटी हुयी व्यक्तिगत मौखिकी परीक्षा अगामी सत्र में कराये जाने का निर्णय लिया गया था।

परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्ष 2020 की व्यक्तिगत परीक्षा में छूटे हुए परीक्षार्थियों की मौखिकी परीक्षा पूर्व की भाँति वर्ष–2021 के मुख्य परीक्षा के परीक्षार्थियों के साथ ही सम्पन्न करायी जायेगी।

मद सं0 12–सत्र 2020–21 की मुख्य परीक्षा हेतु बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित(MCQ) स्नातक पाठ्यकमों के विभिन्न प्रश्नपत्रों की परीक्षाएँ तथा सत्र नियमित करने के उद्देश्य से स्नातक अन्तिम वर्ष में बहुविकल्पीय प्रश्नपत्रों की संख्या में वृद्धि किए जाने हेतु गठित समिति की आख्या/संस्तुति पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।

निर्णय– सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कोविड–19 महामारी के कारण वर्ष–2020 की अवशेष अन्तिम वर्ष की परीक्षाएँ माह सितम्बर–अक्टूबर, 2020 में सम्पन्न कराये जाने के उपरान्त अधिकांश कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान सत्र 2020–21 में सत्र नियमित करने एवं स्नातक तृतीय वर्ष के परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम समय से घोषित किए जाने के उद्देश्य से मा0 कुलपति महोदया द्वारा परीक्षा नियंत्रक, उपकुलसचिव(परीक्षा), कूटा अध्यक्ष–डा0 बी0डी0 पाण्डेय एवं सम्बन्धित संकायों के संकायाध्यक्षों की एक समिति गठित की गयी थी। समिति द्वारा गहन अध्ययन एवं विचार–विमर्श के उपरान्त स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूर्व के अनुसार(बी0काम0 को छोड़कर) निर्धारित विषयों के प्रश्नपत्रों का निर्माण एवं स्नातक तृतीय वर्ष में परीक्षा परिणाम समय से घोषित किए जाने के उद्देश्य से पूर्व के निर्धारित विषयों में कुछ अतिरिक्त प्रश्नपत्रों की परीक्षाएँ(केवल सत्र 2020–21 हेतु) बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित(MCQ Pattern) प्रकियानुसार सम्पन्न कराये जाने की संस्तुति की गयी है।

उक्तानुसार स्नातक प्रथम वर्ष में कुल 21 प्रश्नपत्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष में कुल 36 प्रश्नपत्रों एवं स्नातक तृतीय वर्ष में कुल 34 प्रश्नपत्रों(अतिरिक्त प्रश्नपत्र केवल सत्र 2020–21 हेतु) की परीक्षाएँ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित (MCQ-Pattern) प्रकियानुसार सम्पन्न कराये जाने हेतु परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

21.01.2021

21/1/2021

Scanned with CamScanner

13– अन्य विषय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से–

अन्य विषय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से, मे निम्नांकित प्रकरण परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किए गए –

13.1– श्री विकास प्रभाकर, छात्र बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष–2016, अनुक्रमांक–3052394 द्वारा रसायन विज्ञान विषय की छूटी हुयी प्रायोगिकी परीक्षा वर्ष–2019 में दिये जाने के प्रकरण पर मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका सं0 19465/2020 के क्रम में परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि श्री विकास प्रभाकर, छात्र बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष–2016, अनुक्रमांक–3052394, महाविद्यालय–ए0एस0 बटेश्वर दयाल महाविद्यालय, माधोगंज, हरदोई द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं0 19465/2020 इस आशय से योजित की गयी कि उसके द्वारा वर्ष–2016 में रसायन विज्ञान की छूटी हुयी प्रायोगिकी परीक्षा वर्ष–2019 में दी गयी थी तथा याची द्वारा प्राप्त अंकों को वर्ष–2016 में प्रविष्ट किए जाने तथा संशोधित अंकतालिका निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि निम्नानुसार 07 वर्ष निर्धारित है। –

"Provided further that the total number of years a person is permitted to be full time student of a college/university be not more than seven years

सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य परीक्षा एवं तत्पश्चात् सम्पन्न करायी जाने वाली छूटी हुयी प्रायोगिकी/मौखिकी परीक्षा मे छूटे हुए परीक्षार्थियों द्वारा समय–समय पर इस आशय के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें प्रायोगिकी/मौखिकी परीक्षा में भाग लेने का एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जाय। तत्समबन्धी छात्र जैनुल आब्दीन, बी0एस0सी0–तृतीय वर्ष–2019(वनस्पति विज्ञान), रोल नं0–6096163, छात्रा प्रीति यादव, बी0ए0–तृतीय वर्ष–2019(गृह विज्ञान) रोल नं0–3000811, छात्रा रानी बाजपेयी, एम0ए0(हिन्दी) द्वितीय वर्ष–2018, अनुक्रमांक 3904076(वायवा) तथा छात्रा नेहा परवीन, एम0ए0(अर्थशास्त्र) द्वितीय वर्ष–2018, अनुक्रमांक 3303012(वायवा) प्रार्थना पत्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गये।

परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त छात्रहित में सर्वसम्मति से श्री विकास प्रभाकर, छात्र बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष–2016, अनुक्रमांक–3052394 महाविद्यालय–ए0एस0 बटेश्वर दयाल महाविद्यालय, माधोगंज, हरदोई द्वारा वर्ष–2019 में दी गयी रसायन विज्ञान की छूटी हुयी प्रायोगिकी परीक्षा में प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा वर्ष–2016 की सारणीयन पंजिका में सम्बन्धित रोल नं0 के सम्मुख प्रविष्ट करते हुए तदनुसार परीक्षाफल घोषित किए जाने तथा छात्र जैनुल आब्दीन, छात्रा प्रीति यादव, रानी बाजपेयी तथा छात्रा नेहा परवीन के छूटे हुए प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षाएँ शीघ्र सम्पन्न परीक्षाएँ सम्पन्न कराये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि ऐसे परीक्षार्थियों के स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष से 07 वर्ष एवं परास्नातक स्तर पर 05 वर्ष से अधिक समय व्यतीत न हुआ है। परीक्षा समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को भविष्य के लिए दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

21-01-2021

21/1/2021-11-

Scanned with CamScanner

मद सं० 13.2- एल-एल०बी० पाठ्यक्रम के छात्र श्री सौरभ तिवारी के परीक्षा अभिलेखों में किसी अन्य छात्र श्री सौरभ तिवारी द्वारा कूटरचित तरीके अपना व पिता का नाम अंकित कराते हुए अंकतालिकायें एवं उपाधि प्राप्त कर लिए जाने के प्रकरण पर श्री सौरभ तिवारी पुत्र श्री राकेश तिवारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सम्पादित किए जाने हेतु परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।

निर्णय- सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि एल-एल०बी० पाठ्यक्रम के 2014-17 के छात्र श्री सौरभ तिवारी पुत्र राज कुमार तिवारी रोल नं० [illegible] ने महाविद्यालय-गया प्रसाद सिंह महाविद्यालय, शिवराजपुर, कानपुर से एल-एल०बी० पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उक्त छात्र से मिलते नाम के संदिग्ध छात्र श्री सौरभ तिवारी पुत्र श्री राकेश तिवारी ने दिनांक [illegible] को अपने व पिता के नाम में संशोधन किए जाने हेतु विश्वविद्यालय में प्रार्थना पत्र [illegible] प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, आधारकार्ड की प्रति एवं हाईस्कूल, इण्टर, बी०ए० एवं एल-एल०बी० की अंकतालिकाओं की कूटरचित प्रतियाँ प्रस्तुत की। तदनुसार कूटरचित तरीके से रोल नं० [illegible] के एल-एल०बी० के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिकाओं में नाम संशोधित कराते हुए उपाधि भी प्राप्त कर ली गयी। सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उक्त रोल नं० पर अंकित छात्र का नाम श्री सौरभ तिवारी पुत्र श्री राजकुमार तिवारी की पुष्टि की गयी। संदिग्ध छात्र श्री सौरभ तिवारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति श्री [illegible] के माध्यम से संशोधित करायी गयी अपनी मूल अंकतालिकाओं को पटल सहायक के नाम से स्पीड पोस्ट द्वारा वापस प्रेषित कर दिया गया है परन्तु मूल उपाधि अभी भी संदिग्ध छात्र द्वारा प्रेषित नहीं की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों का अनुशीलन एवं गहन विचार-विमर्श के उपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से वास्तविक छात्र श्री सौरभ तिवारी पुत्र राजकुमार तिवारी का नाम व पिता का नाम विश्वविद्यालय अभिलेखों में एल-एल०बी० पाठ्यक्रम वर्ष 2014-17, रोल नं० [illegible] पर पुनः अंकित किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही परीक्षा समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि संदिग्ध छात्र श्री सौरभ तिवारी पुत्र श्री राकेश तिवारी द्वारा कूटरचित तरीके से विश्वविद्यालय से प्राप्त अंकतालिकाओं एवं उपाधि को निरस्त करते हुए वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, उत्तर प्रदेश को संदिग्ध छात्र द्वारा उक्त अंकतालिकाओं एवं उपाधि के आधार पर यदि अधिवक्ता का पंजीकरण कराया गया है तो उसे निरस्त किए जाने हेतु विश्वविद्यालय पत्र प्रेषित करे।

मद सं० 13.3- एम०बि०ए०(व्यवसाय प्रबन्धन) के बैच 2014-15 एवं 2015-16 के छूटे हुए कुछ छात्रों का लघुशोध प्रबन्ध(Dissertation) जमा कराये जाने तथा मौखिकी परीक्षा सम्पन्न कराये जाने के प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।

निर्णय- सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि डीन-स्टूडेंट वेलफेयर ने अपने पत्र द्वारा इन्स्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, सी०एस०जे०एम०विश्वविद्यालय के एम०बि०ए०(व्यवसाय प्रबन्धन) के बैच 2014-15 एवं 2015-16 के कुछ छात्र/छात्राओं का Dissertation(लघु शोध प्रबन्ध) जमा नहीं हो पाने तथा उनकी

-13-

Scanned with CamScanner

मौखिकी परीक्षाएँ अभी सम्पन्न नहीं हो पाने के सम्बन्ध सूचित किया है। ऐसे छात्र/छात्राओं का अन्तिम परीक्षा परिणाम अभी रूका हुआ है तथा वर्तमान में एम0फिल0 पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया गया है।

परीक्षा समिति की सदस्या प्रो0 अंशु यादव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उक्त छात्र/छात्राओं ने पूर्व में अपना Dissertation(लघु शोध प्रबन्ध) जमा कराये जाने मौखिकी परीक्षाएँ सम्पन्न कराये जाने हेतु कई बार प्रत्यावेदन दिया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उक्त प्रकरण पर निदेशक, आई.बी.एम. एवं परीक्षा समिति के सदस्य प्रो0 मुकेश रंगा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि एम0फिल0 पाठ्यक्रम में वर्णित प्राविधानों के अनुसार पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष होती है, जो पूर्ण हो चुकी है तथा उक्त प्रकरण पर मा0 न्यायालय में भी अध्यादेश के अनुसार सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

परीक्षा समिति द्वारा उक्त तथ्यों का अनुशीलन करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन्स्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेन्ट, सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय के एम0फिल0(व्यवसाय प्रबन्धन) के बैच 2014–15 एवं 2015–16 के सम्बन्धित छात्र/छात्राओं द्वारा यदि उक्त के सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र समुचित माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्ण करने की निर्धारित अवधि तीन वर्ष के अन्दर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया है तो तत्सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत किए जाय। तदोपरान्त आगामी परीक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया।

मद सं0 13.4– बी0ए0 तृतीय वर्ष–2009 के छात्र हेमन्त कुमार शुक्ला द्वारा भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा फार्म भरने की अनुमति प्रदान किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार–

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि बी0ए0 तृतीय वर्ष–2009 के छात्र हेमन्त कुमार शुक्ला द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.10.2020 में वर्ष 2009 में डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर से बी0ए0 तृतीय वर्ष की परीक्षा संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में दी गयी परीक्षा में उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण अनुत्तीर्ण हो जाने का उल्लेख किया गया है तथा वर्तमान में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा फार्म भरने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 07 वर्ष निर्धारित है तथा छात्र द्वारा प्रथम वर्ष की परीक्षा वर्ष 2007 में दी गयी थी तथा तत्सयम से वर्तमान तक 14 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं।

उपरोक्त प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा बी0ए0 तृतीय वर्ष–2009, महाविद्यालय– डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर के छात्र हेमन्त कुमार शुक्ला के प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2020 को बलहीन एवं अध्यादेश में वर्णित प्राविधानों के विरूद्ध पाते हुए प्रार्थना पत्र पर विचार न किए जाने का निर्णय लिया गया।

मद सं0 13.5– बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष–2008 के छात्र शिव नन्दन पुत्र श्री भजन लाल द्वारा बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष में गणित प्रथम प्रश्नपत्र में दी गयी बैक पेपर परीक्षा में प्राप्त अंकों को प्रविष्ट किए जाने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार–

21.1.2021

21.1.2021

Scanned with CamScanner

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष–2008 के छात्र शिव नन्दन पुत्र श्री भजन लाल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि छात्र ने बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष 2005, अनुक्रमांक 432295 की परीक्षा 197/450 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की थी। छात्र द्वारा उसी वर्ष बैक पेपर की परीक्षा गणित प्रथम प्रश्नपत्र में दी गयी थी, जिसमें उसे 30 अंक प्राप्त हुए तथा विश्वविद्यालय द्वारा बैक पेपर की अंकतालिका भी प्रदान कर दी गयी तथा छात्र द्वारा बी0एस0सी0 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा भी 748/1350 अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण कर ली। तद्क्रम में विश्वविद्यालय से अस्थाई प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया।

छात्र शिवनन्दन द्वारा उपाधि प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय में आवेदन करने पर सारणीयन पंजिका में पाया गया कि उसे बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष में बैक पेपर परीक्षा देने हेतु अर्ह नहीं मानते हुए गणित प्रथम प्रश्नपत्र में पूर्व के अंक 08 अंकित किये गये हैं, जबकि प्राप्त अंकतालिकाओं के आधार पर उसका चयन सहायक अध्यापक के पद पर हो गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त छात्रहित में संस्थागत छात्र शिव नन्दन पुत्र श्री भजन लाल, बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष 2005, अनुक्रमांक 432295, महाविद्यालय–आर0पी0कालेज, कमालगंज,फर्रूखाबाद को गणित विषय के प्रथम प्रश्नपत्र की बैक पेपर परीक्षा में प्राप्त अंक 30 को ही सारणीयन पंजिकाओं में प्रविष्ट किए जाने एवं तद्नुसार परीक्षाफल संशोधित करते हुए घोषित किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया तथा उक्त प्रकरण को भविष्य के लिए दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

मद सं0 13.6– बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष–2004 के छात्र मोहित कुमार पुत्र श्री हरीश चन्द्र द्वारा रसायन विज्ञान के द्वितीय प्रश्नपत्र में दी गयी बैक पेपर परीक्षा में प्राप्त अंकों को प्रविष्ट किए जाने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार–

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष–2004 के छात्र मोहित कुमार पुत्र श्री हरीश चन्द्र द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि छात्र द्वारा बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष 2004, अनुक्रमांक 306506 की बैक पेपर परीक्षा रसायन विज्ञान विषय के द्वितीय प्रश्नपत्र में दी गयी थी जिसमें उसे 23 अंक प्राप्त हुए थे। तद्क्रम में उसे बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष की अंकतालिका बैक पेपर के अंकों को समाहित करते हुए कुल प्राप्तांक 0725/1350 अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अंकतालिका विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी थी। तद्क्रम में उक्त परीक्षाफल सत्यापित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा उसे प्रवजन प्रमाण पत्र(Migration Certification) भी निर्गत कर दिया गया।

छात्र मोहित कुमार द्वारा उपाधि प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय में आवेदन करने पर सारणीयन पंजिका में पाया गया कि उसे बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष में बैक पेपर परीक्षा देने हेतु अर्ह नहीं मानते हुए रसायन विज्ञान विषय के द्वितीय प्रश्नपत्र में पूर्व के अंक 11 अंकित कर दिये गये हैं, जबकि प्राप्त अंकतालिकाओं के आधार पर छात्र द्वारा उच्च कक्षा में प्रवेश लिया जा चुका है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त छात्रहित में संस्थागत छात्र मोहित कुमार पुत्र श्री हरीश चन्द्र, बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष 2004,

21.01.2021

21/1/2021

Scanned with CamScanner

अनुक्रमांक [illegible], महाविद्यालय–डी०बी०एस० पी०जी० कालेज, कानपुर की रसायन विज्ञान विषय के द्वितीय प्रश्नपत्र की बैक पेपर परीक्षा में प्राप्त अंक 23 को ही सारणीयन पंजिकाओं में प्रविष्ट किए जाने एवं तद्नुसार परीक्षाफल संशोधित करते हुए घोषित किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया तथा उक्त प्रकरण को नज़ीर के लिए दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

मद सं० 13.7– साईं कालेज ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, चौबेपुर, कानपुर के बी०एस०सी० इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी अन्तिम वर्ष के छात्रों को प्रयोगात्मक परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों को फेल कर दिये के प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार–

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि साईं कालेज ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, चौबेपुर, कानपुर के बी०एस०सी० इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी अन्तिम वर्ष के छात्र/छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय में दिनांक 05.01.2021 को इस आशय का प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया कि उक्त पाठ्यक्रम की प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु आये वाह्य परीक्षक डा० मुनीश रस्तोगी द्वारा सभी छात्र/छात्राओं को प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर), कानपुर नगर द्वारा भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। प्रकरण की विस्तृत जानकारी हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य तथा वाह्य परीक्षक डा० मुनीश रस्तोगी से आख्या माँगी गयी। जिसमें महाविद्यालय द्वारा पुनः प्रायोगिक परीक्षा कराये जाने का अनुरोध किया गया है। वाह्य परीक्षक डा० मुनीश रस्तोगी द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया कि वाह्य परीक्षक के रूप में 40 अंकों में परीक्षार्थियों को अंक प्रदान किये गये थे, शेष 40 अंक आन्तरिक परीक्षक द्वारा दिये जाने थे।

परीक्षा समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से छात्रहित में साईं कालेज ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, चौबेपुर, कानुपर के बी०एस०सी० इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी अन्तिम वर्ष के छात्रों की माइक्रोबायोलॉजी विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा पुनः विश्वविद्यालय कैम्पस में सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया।

मद सं० 13.8– संकायाध्यक्ष–कृषि संकाय द्वारा बी०एस०सी०(कृषि) तथा एम०एस०सी०(कृषि) पाठ्यक्रम के अनुमोदित अध्यादेश के आलोक में परीक्षाफल तैयार किए जाने के उद्देश्य से प्रेषित किए गये नियम एवं आर्डिनेन्स की विस्तृत व्याख्या पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार–

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि बी०एस०सी०(कृषि) तथा एम०एस०सी०(कृषि) पाठ्यक्रम के अध्यादेश का निर्धारण बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक दिनांक 27/09/2019 में बैठक में किया गया था जिसका अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। संकायाध्यक्ष–कृषि संकाय तथा परीक्षा समिति के सदस्य डा० महेश प्रसाद यादव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उक्त पाठ्यक्रमों का परीक्षाफल तैयार किए जाने के उद्देश्य से अनुमोदित अध्यादेश एवं नियमों की विस्तृत व्याख्या विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की गयी है, जिस पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है।

21.1.2021

21/1/2021

Scanned with CamScanner

परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से संकायाध्यक्ष–कृषि संकाय द्वारा प्रस्तुत की गयी बी0एस0सी0(कृषि) तथा एम0एस0सी0(कृषि) पाठ्यक्रम के नियम एवं अध्यादेश की विस्तृत व्याख्या को अनुमोदन प्रदान करते हुए उसे आगामी विद्या परिषद की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में मा0 कुलपति जी द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

21.01.2021

डॉ0(अनिल कुमार यादव)
परीक्षा नियंत्रक / सचिव, परीक्षा समिति

21/1/2021

प्रो0(नीलिमा गुप्ता)
कुलपति / अध्यक्ष

Scanned with CamScanner